



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042025-262285
CG-DL-E-04042025-262285

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274]
No. 274]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 3, 2025/ चैत्र 13, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 2025/ CHAITRA 13, 1947

भारतीय भेषजी परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2025

संख्या 14-148/2024-पीसीआई.— भारतीय भेषजी परिषद, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 10 और धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भेषजी अभ्यास विनियम, 2015 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भेषजी अभ्यास (संशोधन) विनियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भेषजी अभ्यास विनियम, 2015 में, परिशिष्ट III में शीर्षक "स्वास्थ्य देखभाल स्थापना (औषध /फार्मसी स्टोर) में फार्मासिस्ट अभ्यास स्थल पर औषध सूचना फार्मासिस्ट के पद का नाम एवं कार्य उत्तरदायित्वों का विवरण" के अधीन, पैरा 7ख में शीर्षक "क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पद का नाम एवं कार्य उत्तरदायित्व" के अधीन, उप-पैरा 3 के खंड (i) में उप-शीर्षक "क्लिनिकल फार्मासिस्ट" के अधीन, "फार्म. डी." शब्दों के पश्चात्, "या एम. फार्मा. (भेषजी अभ्यास)" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

अनिल मित्तल, रजिस्ट्रार-सह-सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./07/2025-26]

टिप्पण:-मूल विनियम अधिसूचना सं. 14-148/2012-पी सी आई, तारीख 15 जनवरी, 2015, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 14-148/2020-पी सी आई, तारीख 30 जून, 2021 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया था।

PHARMACY COUNCIL OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2025

No. 14-148/2024-PCI.—In exercise of the powers conferred by sections 10 and 18 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Pharmacy Practice Regulations, 2015, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Pharmacy Practice (Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Pharmacy Practice Regulations, 2015, in Appendix III under the heading “Details of Position Title and job responsibilities of Drug Information Pharmacist at Pharmacy practice site in a health care setting (Drug store/ Pharmacy)”, in paragraph 7B under the heading “Details of Position, Title and Job responsibilities of Clinical Pharmacist,” in sub-paragraph 3, under sub-heading "The Clinical Pharmacist" in clause (i), after the words "Pharm. D.", the words "or M. Pharm (Pharmacy Practice)" shall be inserted.

ANIL MITTAL, Registrar-cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./07/2025-26]

Note:-The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification No. 14-148/2012-PCI, dated the 15th January, 2015, and subsequently amended vide notification No. 14-148/2020-PCI dated the 30th June, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4.